



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या : ए-4/ई-1/2017
दिनांक : 30-12-2017

समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी आदि
सामान्य चयन परीक्षा - 2017

तथा
समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी आदि विशेष चयन
(बैकलॉग) परीक्षा - 2017

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 30.12.2017
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 25.01.2018
आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: 30.01.2018

विशेष सूचना :- (क) "बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गई धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।" (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नं० देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं० पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एस एस एम एस द्वारा भेजे जायेंगे।

आन-लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'आन-लाइन' आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

1- आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें "आन-लाइन आवेदन पद्धति" लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु "Apply" पर Click करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम स्तर- Apply click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्शन के साथ 'Fee to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi option Payment System) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् "Payment Acknowledgment Receipt (PAR)" प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय स्तर- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके Upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएँ सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। तथापि, अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।

2. एक बार आवेदन "Submit" करने के पश्चात् उसमें किसी भी दशा में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
3. आवेदन शुल्क:- आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं:-
(i). अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग - परीक्षा शुल्क ₹ 100 /- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /-
योग = ₹ 125 /-
(ii). अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति - परीक्षा शुल्क ₹ 40 /- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /-
योग = ₹ 65 /-
(iii). विकलांग श्रेणी - परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /-
योग = ₹ 25 /-
(iv). स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक / महिला - अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

4. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ.प्र. लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित करने / प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा

उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. Submit किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क के साथ अन्तिम तिथि तक वे दूसरा आन-लाइन आवेदन, संशोधित सूचना के साथ, 'आन-लाइन' Submit कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन submit करने की दशा में केवल उस रजिस्ट्रेशन नम्बर के आवेदन पत्र जिसके आधार पर प्रवेश पत्र निर्गत होगा एवं परीक्षा में सम्मिलित होगा, अन्तिम रूप से मान्य होगा।

6. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग उपयुक्त चयन के अन्तर्गत सम्मिलित पदों की समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (सामान्य चयन/विशेष चयन(बैकलॉग)) लिखित (मुख्य) परीक्षा-2017 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर श्रेष्ठता (Merit) के अनुसार होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार जिला/केंद्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

7. रिक्तियों की संख्या:- वर्तमान में सामान्य चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 460 है तथा विशेष चयन (बैकलॉग) हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 05 है, विशेष चयन (बैकलॉग) के अन्तर्गत शासन/विभाग से प्राप्त अध्यायचनानुसार समीक्षा अधिकारी (हिन्दी), उ0प्र0 सचिवालय की 01 रिक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी की तथा समीक्षा अधिकारी (उर्दू), उ0प्र0 सचिवालय की 04 रिक्तियाँ अनुसूचित जाति श्रेणी हेतु आरक्षित हैं। अतएव उक्त पदों हेतु केवल उ0प्र0 राज्य के अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी ही विशेष चयन (बैकलॉग) के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष चयन हेतु अर्ह हैं एवं सामान्य चयन हेतु भी आवेदन करना चाहते हैं, उस दशा में उन्हें आन-लाइन आवेदन पद्धति में उपलब्ध 03 विकल्पों में से "Both" वाले विकल्प को क्लिक करना अनिवार्य है। उपर्युक्त 465 रिक्तियों हेतु प्राप्त अध्यायचनों के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले पदों का विभागवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पद का नाम
1	उ0प्र0 सचिवालय	समीक्षा अधिकारी
2	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	समीक्षा अधिकारी
3	उ0प्र0 राजस्व परिषद	समीक्षा अधिकारी
4	उ0प्र0 सचिवालय	समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)
5	उ0प्र0 सचिवालय	समीक्षा अधिकारी (उर्दू)
6	उ0प्र0 सचिवालय	सहायक समीक्षा अधिकारी
7	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	सहायक समीक्षा अधिकारी
8	उ0प्र0 राजस्व परिषद	सहायक समीक्षा अधिकारी
9	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)

नोट:- उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति/अर्हताओं के जिन पदों के अध्यायचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जायेंगे, इस चयन में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

नोट:- शासन/विभाग के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

8. आरक्षण:- उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जन जातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार शैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों, यथा-उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों/उ0प्र0 के विकलांग अभ्यर्थियों तथा उ0 प्र0 के भूत पूर्व सैनिकों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट:- (i) आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (ii) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें। (iii) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, पीएच तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति/निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

9. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्त:- (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या- 22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथासमय यह लिखित अपडेटेडिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अवमुक्त हुआ हो। आवेदन पत्र Submit करने की अन्तिम तिथि तक शैक्षिक योग्यता/पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण होना अनिवार्य है।

10. वैवाहिक प्रास्थिति:- ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

11. शैक्षिक अर्हता:- आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने आन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें, किन्तु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएँ भी हैं जिन्का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं
1	उ0प्र0 सचिवालय	समीक्षा अधिकारी (लेखा), सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में "ओ" स्तरीय प्रमाण-पत्र। (3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान।
2	उ0प्र0 सचिवालय	सहायक समीक्षा अधिकारी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, (2) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त "ओ" लेवल प्रमाण-पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता, (3) हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। टिप्पणी:- अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
3	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	सहायक समीक्षा अधिकारी	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (ख) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। (ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोयक (DOEACC) सोसायटी द्वारा प्रदत्त "ओ" स्तर का प्रमाण-पत्र। नोट:- अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

4	राजस्व परिषद, उ०प्र०	सहायक समीक्षा अधिकारी	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) डोयक (डी०ओ०ई०ए०सी०सी०) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "ओ" स्तर का प्रमाण—पत्र अथवा उसके समकक्ष अर्हता। (तीन) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी आवश्यक है। टिप्पणी:—अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
5	कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०	सहायक समीक्षा अधिकारी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, (2) डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसायटी द्वारा प्रदत्त "ओ" लेवल प्रमाण—पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता, (3) हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। टिप्पणी:—अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
6	उ०प्र० लोक सेवा आयोग	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि।
7	उ०प्र० सचिवालय	समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता।
8	उ०प्र० सचिवालय	समीक्षा अधिकारी (उर्दू)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, परशियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता: परन्तु यह कि ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी ने जाभियों उर्दू अलीगढ़ की अदीब—ए—कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वहाँ उर्दू साहित्य, परशियन साहित्य या अरबी साहित्य की अपेक्षा न होगी।

नोट:— "अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिये जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जायेगा।"

12. आयु सीमा:— (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2017 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1977 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए। विकलांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1962 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ii) अधिकतम आयु सीमा में छूट :— (क) उ०प्र० के अनुसूचित जाति, उ०प्र० के अनुसूचित जन जाति, उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। यह छूट केवल उ०प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमत्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ०प्र० के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, समूह 'ख' हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी परन्तु समूह 'ख' के पदों हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। समूह 'ग' के पदों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को उच्च आयु सीमा में कोई छूट अनुमत्य नहीं है।

13. मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें:— (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित अभ्यर्थियों, उ. प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ. प्र. राज्य के बाहर अर्थात् अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹ 0 160/— एवं आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 0 25/—, योग ₹ 0 185/— तथा उ०प्र० के अनुसूचित जाति एवं उ०प्र० के अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क ₹ 0 70/— एवं आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 0 25/— योग ₹ 0 95/— निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ०प्र० के विकलांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 0 25/— मात्र देना होगा। उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उ०प्र० की महिला अभ्यर्थी तथा उ०प्र० के सेना के अवमुक्त अधिकारी/सैन्य वियोजित कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस मुख्य श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। (3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किए जायेंगे। (4) विभिन्न पदों के लिए अधिमान्यताएं अभ्यर्थियों से यथा समय माँगी जायेंगी, जो अन्तिम होंगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (5) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच अन्तिम परिणाम घोषित होने के बाद होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। (6) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट:— मुख्य परीक्षा के स्तर पर अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं आन—लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण—पत्रों की स्व—प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर आयोग को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पृथक से यथा—समय प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जायेगा। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में प्रमाण—पत्रों की स्व—प्रमाणित प्रतियों को संलग्न कर अपने आवेदन पत्र की हार्डकापी प्रेषित नहीं करते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

14. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:— (1) उ०प्र० लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। (2) आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि आदि में परिवर्तन अनुमत्य नहीं है। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (4) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के विकलांग अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा—2 में उल्लिखित विकलांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा संशोधित सपठित शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 जो निर्धारित प्रारूप पर विकलांगता प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर ही आरक्षण का लाभ अनुमत्य होगा। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग, आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (11) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस

परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (14) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्रिटियों के लगभग 18 गुना तक अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे। (15) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (16) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (17) ओएमआर उत्तर पत्रक में अभ्यर्थी द्वारा सही सही सूचनाएं भरी जायें। ओएमआर उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये। (18) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। (19) प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी :—

- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जाएगा।
- यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।
- यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा।

(20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 30 % निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा में 30 % से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे। (21) अभ्यर्थियों से सामान्य हिन्दी के अनिवार्य प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1— अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2— सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3— आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट—3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक, महिला अभ्यर्थियों, कुशल खिलाड़ियों तथा उ०प्र० राज्य के कर्मचारियों/शिक्षकों आदि को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमत्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति/निवास प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।

4— आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और तभी आवेदन करें जब सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियों (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22.1.1982, 08.03.1983 तथा शासनादेश संख्या 3014 कार्मिक—2—1982 दिनांक 18.10.1982 सपठित शासनादेश संख्या—6/1972 कार्मिक—2—1982 दिनांक 15.1.1983 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या—453/79—वी—1—15—1(का) 14—2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6— किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7— यदि अभ्यर्थी को आन—लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8— फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट—1** पर, प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची **परिशिष्ट—2** पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्रों का नमूना **परिशिष्ट—3** पर उल्लिखित है। इसी प्रकार परीक्षा की योजना एवं प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम/मुख्य परीक्षा हेतु अनुदेश तथा पाठ्यक्रम क्रमशः **परिशिष्ट—4** तथा **परिशिष्ट—5** पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form

At the top of the page there is a Declaration. The candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option either to agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to notification.

Personal Details:

This section shows information about candidate's personal details i.e. Registration Number, Candidate's Name, Father/Husband's Name, Gender, Date of Birth, UP domicile, Category, Marital Status, Email-ID and Contact Number.

Other Details of Candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical deformity.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details of the candidate.

Candidate Address, Photo & Signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate.

Declaration Segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button the details can be modified.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)

For Other Information:

For other information candidates are advised to select desired Option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in> in CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT

NOTIFICATIONS /ADVTs.

All Notifications / Advertisements

ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration (FIRST STAGE)

2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)

3. Submit Application Form (THIRD STAGE)

APPLICATION FORM STATUS

Update your transaction ID by Double Verification mode

View Application Status

List of Applications Having Photo related Objections

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

EXAMINATION SEGMENT

Print Address Slip for sending Documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

DOWNLOAD SEGMENT

Download Admit Card

Download Interview Letter

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

Regarding application

1. On clicking "View Application status" option in Candidate Segment page you can see current status of candidate.
2. On clicking "Result" option in Candidate Segment page candidate can see result status of periodically.
3. "Interview/Exam Schedule" option in Candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.
4. On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.
5. On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.
6. On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view rejected candidate list.
7. On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

(Candidates applying On-line need NOT send hard copy of the On-line

Application filled by them On-line or any other document / certificate / testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.) (The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.) UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to advertisement, after which the Web. Link will be disabled.


परिशिष्ट - 1

The Procedure relating to upload Photo & Signature:-

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in*.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.
6. The application has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identify, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature:-



परिशिष्ट - 2

जिन नगरों में परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:-

आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गोरखपुर, इटावा, फैजाबाद, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, वाराणसी, मैनपुरी और मथुरा।

परिशिष्ट - 3

उ.प्र. की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के..... ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... पद का नाम..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(प्रारूप-1)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... पद का नाम..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

उ.प्र. के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL
Certificate No..... Date.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt Kum..... son/wife/daughter of Shri..... age..... sex..... identification mark (S)..... is suffering from permanent disability of following category:

- A. Locomotor or cerebral palsy:
 - (i) BL-Both legs affected but not arms.
 - (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (iii) BLA-Both legs and both arms affected
 - (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
 - (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
 - (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
 - (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.
- B. Blindness or Low Vision:
 - (i) B-Blind
 - (ii) PB-Partial Blind
- C. Hearing impairment:
 - (i) D-Deaf
 - (ii) PD-Partial Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of..... year..... months.
3. Percentage of disability in his/her case is..... percent.
4. Sh./Smt./Kum.meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with fingers.	Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling and pushing.	Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting.	Yes/No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching.	Yes/No
(v) B-can perform work by bending	Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii) ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii) W-can perform work by walking	Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No
(xi) RW-can perform work by reading and writing.	Yes/No
(Dr.)	(Dr.)
Member	Member
Medical Board	Medical Board
	Chairperson
	Medical Board
	Countersigned by the
	Medical Superintendent/CMO/HQ
	Hospital (with seal)

* Strike out which is not applicable.

<p>कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985</p> <p>प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप - 1</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी..... पूरा पता..... ने दिनांक..... से दिनांक..... तक..... (स्थान का नाम) में आयोजित..... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर.....</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p>प्रारूप - 2</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी (पूरा पता)..... ने दिनांक..... से दिनांक..... तक..... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट) स्थान का नाम..... आयोजित राष्ट्रीय..... में (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... पता..... मुहर.....</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p>प्रारूप - 3</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवास (पूरा नाम)..... विश्वविद्यालय की कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक..... से दिनांक..... तक..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय..... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान..... हस्ताक्षर.....</p> <p>प्रारूप - 4</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवास (पूरा नाम)..... में..... स्कूल में कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक..... से दिनांक..... तक..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की..... (क्रीडा/खेल -कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर.....</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।</p> <p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिये प्रमाण पत्र</p> <p>प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... निवासी..... ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरिक्त अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... के आश्रित हैं।</p> <p>स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... जिलाधिकारी..... सील.....</p>		<p>2- सामान्य हिन्दी (प्रारम्भिक परीक्षा) (सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण) (वस्तुनिष्ठ) (Objective)</p> <p>समय- एक घन्टा प्रश्न- 60 पूर्णांक- 60</p> <p>(i) विलोम (10 शब्द) (ii) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि (10 वाक्य) (iii) अनेक शब्दों के एक शब्द (10 शब्द) (iv) तत्सम एवं तद्भव शब्द (10 शब्द) (v) विशेष्य और विशेषण (10 शब्द) (vi) पर्यायवाची शब्द (10 शब्द)</p> <p>योग 200 अंक</p> <p>परिशिष्ट - 5 मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम</p> <p>1- सामान्य अध्ययन (प्रारम्भिक परीक्षा जैसा) समय - दो घन्टे प्रश्न - 120 पूर्णांक - 120</p> <p>2- सामान्य हिन्दी एवं आलेखन खण्ड-1 (परम्परागत) (Subjective) समय - ढाई घन्टे पूर्णांक - 100</p> <p>(1) दिये हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या 3+6+12 21 अंक (2) किसी दिये हुए सरकारी पत्र का सारिणी रूप (Tabular Form) में सार लेखन। 15 अंक (3) पत्राचार 24 अंक</p> <p>(i) शासकीय / अर्द्धशासकीय पत्र (ii) कार्यालय आदेश / ज्ञाप / परिपत्र (iii) विज्ञप्ति / टिप्पण एवं प्रतिवेदन / अनुस्मारक</p> <p>(4) पारिभाषिक शब्दावली (प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली)</p> <p>(i) अंग्रेजी से हिन्दी (पांच शब्द) 10 अंक (ii) हिन्दी से अंग्रेजी (पांच शब्द) 10 अंक (iii) मुहावरे तथा लोकोक्तियां (केवल 05) 10 अंक</p> <p>(5) कम्प्यूटर ज्ञान 10 अंक</p> <p>खण्ड - 2 सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण (वस्तुनिष्ठ) (Objective)</p> <p>समय - आधा घन्टा पूर्णांक - 60</p> <p>(i) विलोम (6 शब्द) 12 अंक (ii) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि (6 वाक्य) 12 अंक (iii) अनेक शब्दों के एक शब्द (6 शब्द) 12 अंक (iv) तत्सम एवं तद्भव शब्द (6 शब्द) 12 अंक (v) विशेष्य और विशेषण (6 शब्द) 12 अंक</p> <p>3- हिन्दी निबन्ध पूर्णांक - 120 समय - तीन घन्टे</p> <p>इस प्रश्न पत्र के अन्तर्गत तीन प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक-एक शीर्षक (क/ख/ग) का चयन करते हुए (दी गयी शब्द सीमा में) कुल तीन निबन्ध लिखने होंगे।</p> <p>(1) (क) साहित्य और संस्कृति शब्द सीमा 600 40 अंक (ख) सामाजिक क्षेत्र (ग) राजनीतिक क्षेत्र</p> <p>(2) (क) विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी शब्द सीमा 600 40 अंक (ख) आर्थिक क्षेत्र (ग) कृषि एवं व्यापार</p> <p>(3) (क) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शब्द सीमा 600 40 अंक (ख) प्राकृतिक आपदाएँ-भूस्खलन, चक्रवात, भूकम्प, बाढ़, सूखा इत्यादि। (ग) राष्ट्रीय विकास योजनाएँ 120+160+120=400</p> <p>समीक्षा अधिकारी (हिन्दी) तथा समीक्षा अधिकारी (उर्दू) पदों हेतु अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम सम्बन्धी विशेष अनुदेश- मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी (हिन्दी) तथा समीक्षा अधिकारी (उर्दू) पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अनुवाद के पृथक से एक-एक अर्धकारी प्रकृति (Qualifying Nature) के अतिरिक्त प्रश्न पत्र होंगे। उक्त प्रश्न-पत्र परम्परागत प्रकारक होंगे, जिनकी समयावधि 3 घंटे तथा पूर्णांक 100 होगा। समीक्षा अधिकारी (हिन्दी) एवं समीक्षा अधिकारी (उर्दू) के पदों हेतु अधिमान्यता प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को अनुवाद के उक्त प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 % अर्थात् 100 में 33 अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 33 % से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नगत दोनों पदों हेतु अपात्र माना जायेगा। उपर्युक्त पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र माने जायेंगे, जिन्होंने अपने आन-लाइन आवेदन में उक्त पदों हेतु दावा किया है एवं प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सफल घोषित किये गये हैं। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की मेरिट का निर्धारण सभी अभ्यर्थियों के साथ मुख्य परीक्षा में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अन्तिम चयन सूची में अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के निर्धारण में उक्त अर्धकारी प्रश्न-पत्रों के अंकों को नहीं जोड़ा जायेगा।</p> <p>उपरोक्त पदों हेतु अनुवाद सम्बन्धी प्रश्नपत्रों का पाठ्यक्रम निम्नवत् है- Syllabus for Samiksha Adhikari (Hindi) Translation from English to Hindi and from Hindi to English Max. Mark- 100 Time-3Hrs.</p> <p>Part-1 (Translation from English to Hindi) Syllabus</p> <p>1- Translation from English to Hindi of an extract from a Press Communique, Press Article or Government Resolution. 30 Marks 2- Translation from English to Hindi of a section or some Sections of an Act of the legislature. 10 Marks 3- Explanation of common expressions, clichés etc, which might be met with in either of the above, technical-official words. 10 Marks</p> <p>Part-2 (Translaion from Hindi to English)</p> <p>4- Translation of a portion of news paper article, speech, letter etc. 30 Marks 5- Translation of words and expressions commonly used in the above circumstances into idiomatic equivalents in English. 10 Marks 6- Explanation of common expressions, clichés etc, which might be met with in either of the above, technical-official words. 10 Marks</p> <p>Syllabus for Samiksha Adhikari (Urdu) Translation from English to Urdu and from Urdu to English Max Marks-100 Time-3Hrs.</p> <p>Part-1 (Translation from English to Urdu)</p> <p>1- Translation from English to Urdu of an extract from a Press Communique, Press Article or Government Resolution. 30 Marks 2- Translation from English to Urdu of a section or some Sections of an Act of the legislature. 10 Marks 3- Explanations of common expressions, clichés etc, which might be met with in either of the above, technical-official words. 10 Marks</p> <p>Part-2 (Translation from Urdu to English)</p> <p>4- Translation of a portion of news paper article, speech, letter etc. 30 Marks 5- Translation of words and expressions commonly used in the above circumstances into idiomatic equivalents in English. 10 Marks 6- Explanation of common expressions, clichés etc, which might be met with in either of the above technical-official words. 10 Marks</p> <p>सचिव</p>
---	--	--



Samiksha Adhikari / Sahayak Samiksha Adhikari Etc. General Recruitment Examination-2017

And

Samiksha Adhikari / Sahayak Samiksha Adhikari Etc. Special (Backlog) Recruitment Examination-2017

Date of commencement of On-Line application : 30.12.2017

Last Date for Receipt of Examination Fee in the Bank : 25.01.2018

Last Date for Submission of Application : 30.01.2018.

SPECIAL NOTICE : (a) On-Line Applications will be accepted only when fee is deposited in the Bank upto prescribed last date for fee deposition. If the fee is deposited in Bank after the last date prescribed for fee deposition, the on-line application of the candidate will not be accepted and the fee deposited in the Bank will not be refunded in any condition. It will be responsibility of the candidates to deposit fee in the Bank upto the last date prescribed for fee deposition and to 'submit' the application upto the last date prescribed for submission of applications. It is also informed that less or more amount deposited in the form of examination fee shall not be refunded in any condition.

(b) In Online Application System, the candidates have to provide their Mobile No. in prescribed column failing which their Basic Registration shall not be completed. All relevant informations / instructions shall be sent through SMS on that mobile.

NECESSARY INFORMATION TO APPLICANTS FOR FILLING THEIR APPLICATIONS THROUGH ON-LINE

This advertisement is also available on the Commission's website <http://uppsc.up.nic.in>. The online application system is applicable for applying against this advertisement. Applications sent by any other mode shall not be entertained hence candidates are advised to apply On-line only. In connection with On-line application, candidates are advised to go through the instructions thoroughly given as under and apply accordingly:-

1. When the candidate clicks "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" on the Commission's website <http://uppsc.up.nic.in> the On-line advertisement shall be automatically displayed, wherein there shall be 3 parts given as below:

- (i) User instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

A list of all the advertisements will be displayed in which "On-line System" is applicable. The Instructions for filling "On-line form" have been given in User Instruction. The Candidates desirous to see the advertisement will have to click before 'View Advertisement' to which they are desirous to see, full advertisement will be displayed along with sample snapshots of ON-LINE Application Procedure. Click on "Apply" for On-line Application.

On-line application will be completed in three stages :

First Stage: On clicking "Apply", Candidate Registration will be displayed. Basic Registration form will be displayed on clicking the 'Candidate Registration' respective to Examination. After filling the Basic Registration form, the candidates must check all the informations filled by them. If any correction / modification is required, click on 'Click here to modify' and ensure the required corrections / modifications. After being fully satisfied with all the informations filled, click on 'Submit Application'. Consequently, the registration of first stage shall be over. Thereafter "Print Registration Slip" shall be displayed and Print of Registration Slip must be taken by clicking on Print Registration Slip.

Second Stage: After the completion of the procedure of first stage, 'Fee to be deposited [in INR]' shall be displayed with caption "Click here to proceed for payment". After clicking the above caption of "Click here to proceed for payment", home page of State Bank MOPS (Multi Option Payment System) shall be displayed comprising of 03 modes of payment viz. (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS and (iii) OTHER PAYMENT MODES. After depositing the required fee by any one of the above prescribed modes, "Payment Acknowledgement Receipt (PAR)" shall be displayed alongwith detail of fee deposition, the print of which must be taken by clicking on "Print Payment Receipt".

Third stage: On completion of the procedure of second stage, click on "Proceed for final submission of application form (Part-2)" as a result of which 'format' shall be displayed. The candidates are required to enter all the required informations in the format. The photo and signature, duly scanned shall be uploaded also. The candidate should scan his/her photograph and signature in the prescribed size (the size will be mentioned at the specified spot in the On-line application). This should also be kept in notice that the photo must be latest passport size. In case the photo and signature, scanned in the prescribed size, are not uploaded, then the On-line system will not accept it. The procedure related for scanning of the photo and signature is laid down in the **Appendix-1**. After filling in all entries in the format, the candidates may click "PREVIEW" to see for themselves that all entries and informations are correctly entered and after satisfying themselves should click "Submit" button to forward the same to the Commission. It is essential that the candidate should fill all informations On-line correctly according to the instructions given and click the 'Submit' button by the last date prescribed for submission of the application form. If the candidate does not click the "Submit" button, the ON-LINE application process shall not be completed finally and the candidate shall be accountable for this. After clicking the 'Submit' button, the candidate may take a print of the application to preserve it with them. In the event of any discrepancy, the candidate will be required to submit the said print in the office of the Commission, otherwise his/her request shall not be entertained. How ever it is clarified to the candidates that at the stage of preliminary examination, **the hard copy of the documents including their On-Line application should not be sent to the Commission.**

2. The Application once submitted, will not be modified in any condition.

3. Application Fee: In the ON-LINE Application process, after completing the procedure of first stage, Category wise prescribed examination fee is to be deposited as per instructions provided in second stage. The prescribed fee of preliminary examination for different categories is as under:-

- (i). Unreserved / Other Backward Class - Exam fee Rs. 100/- + On-line processing fee Rs. 25/- Total = Rs. 125/-
- (ii). Scheduled Caste/ Scheduled Tribe - Exam fee Rs. 40/- + On-line processing fee Rs. 25/- Total = Rs. 65/-
- (iii). Handicapped - Exam fee NIL + On-line processing fee Rs. 25/- Total = Rs. 25/-
- (iv). Dependents of the Freedom Fighters/ Ex-Serviceman/ Women -According to their original category

4. The Basic Registration of such candidates will not be accepted who have been debarred from U.P. Public Service Commission and their period of debar has not been completed. In addition to above, the applications submitted without requisite informations regarding debar, if it is found at any stage in future that the applications have been submitted concealing this fact, his/her candidature will be rejected at any stage and the commission will consider to debar from all future examinations/selections including extension of debar period. In this regard, if the claims of the candidates made in their applications are not found true, they can be debarred not only from the examination in question but from all the future examinations and selections made by the commission also including other appropriate penalties.

5. If the candidates want some correction or change in their submitted applications, they can submit

another fresh complete applications ON-LINE with desired corrections along with prescribed fee within the last notified dates of the advertisement. The application fee deposited with the prior application will neither be returned nor adjusted in any condition. In the aforesaid condition, the application of that Registration No. on which admit card candidate will appear in the examination, will be treated as final.

6. The U.P. Public Service Commission shall hold a Preliminary Examination at various Centres of the Districts mentioned in **Appendix-2** of this advertisement for selecting suitable candidates for admission to the Samiksha Adhikari/Sahayak Samiksha Adhikari etc. (General/Special (Backlog) Recruitment) Written (Main) Examination 2017. The selection will be made as per Merit prepared on the basis of total marks obtained by the candidates in Main (written) examination. The Centre of Examination, decided by the Commission, will be intimated to the candidates by means of their e-Admission Certificate. The no. of Districts/centres may be increased/decreased according to final number of applications received in the office of the Commission.

7. **No. of Vacancies:** - Presently, the no. of vacancies for General Recruitment are 460, and for special (Backlog) Recruitment are 05. Under the special Recruitment (Backlog) as per requisitions received from the State Govt./ Department for the post of Samiksha Adhikari (Hindi), U.P. Secretariat, 01 (One) vacancy is reserved for scheduled caste category and for the post of Samiksha Adhikari (Urdu), U.P. Secretariat. 04 (Four) vacancies are reserved for Scheduled caste category. Therefore, for the aforesaid posts under special recruitment (Backlog) only scheduled caste category candidates of U.P. State are eligible and shall apply. The candidates of special recruitment who are eligible and willing to apply for general recruitment also must click on "Both" Option amongst 03 options which are available in ON-Line Application system.

As per requisitions received for aforesaid 465 vacancies the Department wise particulars of different

Sl. No.	Name of Department	Name of the Post
1	U.P. Secretariat	Samiksha Adhikari
2	U.P. Public Service Commission	Samiksha Adhikari
3	Board of Revenue, U.P.	Samiksha Adhikari
4	U.P. Secretariat	Samiksha Adhikari (Hindi)
5	U.P. Secretariat	Samiksha Adhikari (Urdu)
6	U.P. Secretariat	Sahayak Samiksha Adhikari
7	U.P. Public Service Commission	Sahayak Samiksha Adhikari
8	Board of Revenue, U.P.	Sahayak Samiksha Adhikari
9	U.P. Public Service Commission	Sahayak Samiksha Adhikari (Account)

Note: In addition to the aforesaid posts, if the requisitions of such other posts of similar nature / qualifications are received before the declaration of the Result of the Preliminary Examination, may also be included in this Recruitment.

Note: The number of vacancies may increase or decrease on the request of Govt./Deptt. in special circumstances.

8. **Reservation:** The reservation for Scheduled Castes of U.P./Scheduled Tribes of U.P./Other Backward Class candidates of U.P. shall be admissible in accordance with the provisions of prevailing Govt. Rules. Accordingly, reservation for category under horizontal as Dependents of Freedom Fighters of U.P., Ex-Service Men of U.P., P.H. of U.P. and Women candidates of U.P. shall be admissible on settlement of vacancies. Reservation for P.H. of U.P. shall be admissible for the notified /identified Posts, only on settlement of vacancies.

Note : (i) The Candidates claiming the benefit of reservation/age relaxation must obtain, in support of their category a certificate issued by competent authority on the proforma available on **Appendix-3** of the Website of this detailed advertisement and shall submit the same to the Commission when asked for. **(ii)** All Reserved category candidates of U.P. must mention their Category/Sub Category in the Application. **(iii)** Candidates claiming reservation/Age relaxation in more than one category will be entitled to only one such concession whichever is more beneficial to them. **(iv)** The Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Class, Dependents of Freedom Fighter, Ex-Service Men, P.H. and Women candidates who are not the permanent residents of U.P. shall not be given the benefit of reservation/age relaxation. Such candidates shall be treated as the candidates of the unreserved Category. In case of women candidates, the caste certificate/domicile certificate issued from father side only be treated valid.

9. **Conditions of Eligibility (For age relaxation only):** Eligibility in case of Emergency Commissioned /Short Service Commissioned Officers: In accordance with the provisions of the G.O. No. 22/10/1976-karmik-2-85, dated 30-1-1985 Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who have not been released from Army but whose period of Army service has been extended for rehabilitation, may also apply for this examination on the following conditions: **(A)** Such applicants will have to obtain a certificate of the competent authority of Army, Navy, Air Force to the effect that their period of Service has been extended for rehabilitation and no disciplinary action is pending against them. **(B)** Such applicants will have to submit in due course a written undertaking that in case they are selected for the post applied for, they will get themselves released immediately from the Army Service. The above facilities will not be admissible to Emergency/Short Service Commissioned Officers, if **(a)** he gets permanent Commission in the Army, **(b)** he has been released from the Army on tendering resignation, **(c)** he has been released from the Army on the grounds of misconduct or physical disability. The candidates must possess all the requisite qualifications/Eligibility conditions till the last date for submitting the applications.

10. **MARITAL STATUS:** Male candidates who are married and have more than one wife living and female candidates who have married a person already having a wife, shall not be eligible unless the Hon'ble. Governor has granted an exemption from this condition.

11. **EDUCATIONAL QUALIFICATION:** The candidates must possess Bachelor's Degree from a University established by law in India or equivalent qualification upto the last date for receipt of On-Line application. This should be mentioned by the candidates in the relevant Column of their On-Line application form but for some posts specific educational qualifications have been prescribed. The details of which are given as below:-

Sl. No.	Name of Department	Name of post	Specific Educational Qualification
1.	U.P. Secretariat	Samiksha Adhikari (Account), Sahayak Samiksha Adhikari (Account),	(i) Bachelor's degree in commerce with Accountancy from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. (ii) 'O' Level certificate in Computer Application from an Institute recognized by the Government. (iii) Knowledge of Hindi written in Devnagari Script.
2.	U.P. Secretariat	Sahayak Samiksha Adhikari	(i) Bachelor's degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. (ii) "O" Level certificate awarded by the DOEACC Society or a qualification equivalent thereto. (iii) Must possess a minimum speed of twenty five words per minute in Hindi typewriting. Note: Preference shall be given to a candidate knowing English Typewriting also.

3.	U.P. Public Service Commission	Sahayak Samiksha Adhikari	(a) A Bachelor's Degree from a University established by the Law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. (b) Must possess a minimum speed of twenty five words per minute in Hindi typewriting. (c) Diploma in Computer Science from any recognized Institute / University or "O" Level Certificate awarded by the DOEACC Society. Note: Preference shall be given to a candidate knowing English typewriting also.	<p>categories of Handicapped persons of society shall be given only on the posts which are identified by the Government for their Sub category. For this benefit, the Handicapped persons must produce a certificate of being handicapped in that Sub category on the prescribed proforma issued by prescribed Medical Officer/Specialist and counter signed by the Chief Medical Officer according to Rule 2 of U.P. Public Service (Reservation for physically Handicapped, Dependent of Freedom Fighters and Ex-Servicemen (Amendment) Act. 1997 read with G.O. dated. 03 Feb., 2008). (6) The Ex-Army Personnels must be discharged from Army upto the last date prescribed for receipt of applications. (7) Date, time and venue etc. of examination along with Roll No. will be communicated to the candidates through e-Admit Cards. Candidates will have to appear at the centre/venue allotted to them by the Commission. No change in centre/venue is permissible and no application shall be entertained in this regard. (8) The candidature of such candidates who are subsequently found ineligible according to the terms laid down in advertisement will be cancelled and their any claim for the Main Examination will not be entertained. The decision of the Commission regarding eligibility of the candidates shall be final. (9) The Application/candidature will be rejected/cancelled if the application is not submitted on prescribed form, date of birth is not mentioned or wrong date of birth is mentioned, overage, under age, not fulfilling the minimum educational qualifications, applications received after last date and no signature under declaration in the format. (10) The Commission may admit the candidates provisionally after summarily checking of the applications but if it is found at any stage that applicant was not eligible or that his/her application should have been rejected or was not entertainable initially, his/her candidature will be rejected and if the candidate is selected, the recommendation of the Commission for the appointment shall be withdrawn. (11) The Commission reserves the right of cancelling the candidature of any candidate found indulging in any malpractice i.e. copying in examination hall or indiscipline, misbehavior or canvassing for his/her candidature. On violation of these instructions, the candidates may be debarred from this examination as well as future Examinations and selections. In this regard, decision of the commission shall be final. (12) In all communication to the Commission, the candidate must mention the name of examination, advertisement No., registration No., date of birth, father's/Husband's name and also the Roll Number, if communicated. (13) Candidates selected for appointment will have to undergo Medical Examination as required under the Rules. (14) On the basis of Result of Preliminary Examination, approximately eighteen times candidates to the number of vacancies shall qualify for the main examination. (15) The candidates who are appearing in the Examination of essential qualification prescribed for the posts need not apply, because they are not eligible. (16) While filling the OMR answer sheets, the candidates must use Black Ball Point Pen Only. Use of any other Pen or Pencil is strictly prohibited. (17) The candidates must fill up his/her all informations correctly in the OMR answer sheet. The informations filled in the OMR Answer sheets must not be erased by whitener, blade or rubber etc. (18) In all the objective type papers, the candidates shall be provided OMR answer sheets in duplicates i.e. original copy and candidate's copy. After completion of the examination, the candidates are required to hand over the original copy to the Invigilator and the candidate's copy to keep with them. (19) In the Preliminary/Written (Main) Examination for the objective type Question papers, penalty (Negative Marking) shall be imposed for wrong answers given by the candidates which is as below:- (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one third (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty. (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answer happens to be correct and there will be same penalty as above for that question. (iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question. (20) The minimum efficiency standard for S.C. & S.T. candidates is fixed 30% i.e. the Candidates of these Categories shall not be placed in the merit/select list if they have secured less than 30% marks in the Preliminary/Main examination. Similarly, the minimum efficiency standard for the candidates of other categories is fixed 40% i.e. such candidates shall not be placed in the merit/select list if they have secured less than 40% marks in the Preliminary/Main examination. All such candidates who have secured less marks than the marks of minimum efficiency standard as fixed by the Commission shall be treated disqualified. (21) The candidates shall be required to obtain such minimum marks in compulsory paper of General Hindi, as may be determined by the Govt. or the Commission, as the case may be.</p> <p style="text-align: center;">GENERAL INSTRUCTIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> In no circumstances, applications of any stage shall be accepted after the last prescribed date and time. Applications found without requisite informations and without photograph and signature, even when received in time, will be summarily rejected. In the On-line system, the candidates must ensure that all the requisite informations have been duly filled and must click the submit Button by the Last prescribed Date & Time. They must take the Print and keep it safely. In any discrepancy, they will have to produce the said print otherwise no request shall be entertained. Those candidates, willing to take the benefit of the reservation/age relaxation must obtain a certificate, issued by the competent authority, in support of the reserved category, in the prescribed format printed in this detailed advertisement (Appendix-3) and submit the same to the Commission, whenever required to do so. Those claiming more than one reservation/age relaxation will be given only one such concession, which will be more beneficial. The Candidates who are not originally domiciled of U.P. belonging to SC, ST, O.B.C., dependents of freedom fighters, Ex-Army personnel, Skilled Players, State Govt. employees/teachers, P.H. and women are not entitled to benefit of reservation/age relaxation. Such candidates will be treated as unreserved candidates. In case of the women candidates, the domicile/caste certificate issued from father side will be treated valid. The Commission do not advise to candidates about their eligibility. Therefore, they should carefully read the advertisement and when satisfied about their eligibility as per conditions of the advertisement, then only apply. The candidates must possess all the requisite qualifications till the last date for submitting the applications. In the category of dependents of the freedom fighters only sons, daughters, grandsons (Son's son/Daughter's son) and grand daughters (son's daughter/Daughter's daughter, married/unmarried) are covered. Only such relationships with the freedom fighters are not adequate but the candidates should remain actually dependent of the freedom fighter. Drawing the attention of the candidates towards Govt. orders dated 22.01.1982, 08.03.1983 and Govt. Order No. 3014, Personnel-2, 1982 dated 18.10.1982 read with Govt. Order No. 6/1972 Personnel - 2, 1982 dated 15.01.1983, it is advised that now the candidates must obtain the reservation certificate from the District Magistrate in terms of Govt. Order No. 453/79-V-1-15 (Ka)14-2015 dated. 07.04.2015 in the prescribed format and submit the same. In the event of involvement of a candidate in the concealment of any important information, pendency of any case / criminal case, conviction, more than a husband or wife being alive, submission of facts in a distorted manner, malpractice, canvassing for selection etc, the Commission reserves the right to reject the candidature and debar from appearing in the examination in question and all future other examinations and selections. In case the candidates feel any problem in the "On-line Application" they may get their problem resolved by contacting over phone or on Website clicking 'Contact us'. The Procedure relating to upload scanned Photo & Signature is given in Appendix-1, the name of Districts for Preliminary Examination are available in the advertisement in Appendix-2 and Proforma of caste certificate for different Reserved categories are given in Appendix-3. In the same way the plan of Examination and the syllabi for Preliminary Examination and the Main Examinations are available on Appendix-4 & Appendix-5 respectively.
4.	Board of Revenue, U.P.	Sahayak Samiksha Adhikari	(i) A Bachelor's degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. (ii) "O" Level certificate awarded by the DOEACC Society or a qualification equivalent thereto. (iii) Must possess a minimum speed of twenty five words per minute in Hindi typewriting. Note: Preference shall be given to a candidate knowing English Typewriting also.	
5.	Office of The Chief Election Officer, U.P.	Sahayak Samiksha Adhikari	(i) Bachelor's degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. (ii) "O" Level certificate awarded by the DOEACC Society or a qualification equivalent thereto. (iii) Must possess a minimum speed of twenty five words per minute in Hindi typewriting. Note: Preference shall be given to a candidate knowing English Typewriting also.	
6.	U.P. Public Service Commission	Sahayak Samiksha Adhikari (Account)	Graduate degree in Commerce with Accountancy from a University recognised by law in India.	
7.	U.P. Secretariat	Samiksha Adhikari (Hindi)	Bachelor's degree with Hindi Literature or Sanskrit Literature as one of the Subjects from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent there to.	
8.	U.P. Secretariat	Samiksha Adhikari (Urdu)	Bachelor's degree with Arabic Literature or Persian Literature or Urdu Literature as one of the subjects from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto: Provided that requirement of having taken urdu Literature or Persian Literature or Arabic Literature shall not be necessary in case of a candidate who has passed the Adib-e-Kamil Examination of Jamia Urdu -Aligarh.	
<p>Note: In case of Specific Educational qualification posts, the candidates must give their options clearly, in that conditions only they shall be considered for the posts bearing Specific Educational qualification.</p> <p>12. AGE LIMIT: (i) Candidates must have attained the age of 21 years and must not have crossed the age of 40 years on July 1, 2017 i.e. they must have not been born earlier than 2nd July, 1977 and not later than July 1, 1996. For PH candidates, the maximum age limit is 55 years i.e. they must have not been born before 02 July, 1962. (ii) Relaxation in Upper Age Limit: (a) Upper age limit shall be greater by five years for candidates belonging to Scheduled Castes of U.P., Scheduled Tribes of U.P. and Other Backward Classes of U.P., Skilled players of U.P. of Classified Games, State Govt. Employees of U.P. including Teachers/Staff of the Basic Shiksha Parishad of U.P. and Teachers / Staff of the Government Aided Madhyamik Vidyalayas of U.P. i.e. they must have not been born before 2nd July, 1972. (Only domiciled persons of U.P. are entitled for such age relaxation) (b) Upper age limit shall be greater by fifteen years for physically handicapped persons of U.P. (c) Upper age limit shall also be greater by five years for Group-'B' posts for the Emergency Commissioned Officers / Short Service Commissioned Officers / Ex-Army Personnels of U.P. who have rendered five years service in Army, but there shall be no reservation for Group-'B' posts. In case of availability of Group-'C' posts in the Examination, the Age relaxation and reservation shall be given according to Rule. No relaxation is admissible in upper age limit for D.F.F. Candidates.</p> <p>13. SOME INFORMATIONS ABOUT MAIN EXAMINATION: (i) Only such candidates will be admitted to the Main (written examination) who are declared successful in the Preliminary Examination for which the successful Candidates will have to fill up another application form according to instructions of the Commission and for this application, the Examination fees for unreserved, Other Backward Class and for Candidates belonging to other states (out of U.P.) is Rs. 160/- and Rs. 25/- as On-line Processing fee = Rs. 185/- and for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates the fee is Rs. 70/- and Rs. 25/- as On-line processing fee = Rs. 95/-only. The Candidates of Physically Handicapped category of U.P. are exempted from fee but they have to pay Rs. 25/- only as On-line Processing fee. The candidates of D.F.F., Women candidates and Ex-Army Personnels, of U.P. shall deposit their fee according to their original category. (ii) Candidates should carefully note that they will have to appear for the main examination against the same Roll No. allotted for the Preliminary Examination. (iii) The dates and venue for the Main examination shall be informed by the Commission later on through e-Admit cards. (iv) Preferences for different posts will be taken from the candidates at the relevant time which will be treated final and no change therein will be worthy of being admitted. In this regard no application for error correction / modification shall be acceptable. (v) All original certificates shall be verified after the declaration of final Result. Candidates will also be required to furnish four passport size Photographs, two unattested and two attested by their Head of Department or Head of the Institution where they have received education or by a Gazetted Officer. (vi) Candidates serving under the Central or State Government will have to produce 'No Objection Certificate' from their employer issued by the competent authority.</p> <p>NOTE: At the stage of main examination the candidates must send hard copy of their application form and enclose self-attested copies of all certificates in support of their claims as rendered in the online application. In this connection, a separate press communiqué shall be published in due course by the commission. If they do not send the hard copy of the application form along with self attested copies of all certificates in support of their all claims, their candidature shall be cancelled.</p> <p>14. IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES: (1) As per decision of the UPPSC a candidate will be liable to be debarred from this examination and all other future examinations and selections upto a maximum period of five years for furnishing any wrong information in his/her application form which cannot be substantiated by relevant documents or for any other malpractice. (2) No change in category, sub-category, Date of Birth etc. is permissible after the receipt of application form in the office of the Commission. In this regard no application for error correction/modification shall be acceptable. (3) The date of birth of the candidates shall be admissible as entered in High School Certificate. The candidate will have to attach his/her High School or Equivalent Examination Certificate with the application form of Main Examination. No Other Certificate shall be acceptable for Date of Birth and if it is not attached with the application, it shall be rejected. (4) The candidates will have to enclose self attested copies of Marksheets, Certificates & Degrees along with the application form of Main examination in support of their claims of Educational Qualifications. If they do not enclose self attested copies of certificates/documents in support of their claims, the applications shall be rejected. (5) The benefit of reservation to the</p>				

Detailed Application Form
At the top of the page there is a Declaration. The candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option either to agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.

Notification Details:
This section shows information relevant to notification.

Personal Details:
This section shows information about candidate's personal details i.e. Registration Number, Candidate's Name, Father/Husband's Name, Gender, Date of Birth, UP domicile, Category, Marital Status, Email-ID and Contact Number.

Other Details of Candidate
Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical deformity.

Education & Experience Details
It shows your educational and experience details of the candidate.

Candidate Address, Photo & Signature details
It shows communication address and photo with signature of the candidate.

Declaration Segment
At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.
After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.
Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.
Otherwise using "Back" button the details can be modified.
(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)
For Other Information:
For other information candidates are advised to select desired Option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in> in CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT

NOTIFICATIONS / ADVTS.

All Notifications / Advertisements

ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration (FIRST STAGE)

2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)

3. Submit Application Form (THIRD STAGE)

APPLICATION FORM STATUS

Update your transaction ID by Double Verification mode

View Application Status

List of Applications Having Photo related Objections

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

EXAMINATION SEGMENT

Print Address Slip for sending Documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

DOWNLOAD SEGMENT

Download Admit Card

Download Interview Letter

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

Regarding application

- On clicking "View Application status" option in Candidate Segment page you can see current status of candidate.
- On clicking "Result" option in Candidate Segment page candidate can see result status of periodically.
- "Interview/Exam Schedule" option in Candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.
- On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.
- On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.
- On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view rejected candidate list.
- On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

(Candidates applying On-line need NOT send hard copy of the On-line Application filled by them On-line or any other document / certificate / testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.) (The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.) UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to advertisement, after which the Web. Link will be disabled.


APPENDIX-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

- Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
- Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
- The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in*.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
- Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
- If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.
- The application has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identify, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
- The signature must be signed only by the Applicant and not by any other person.
- The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature:-



APPENDIX-2

The name of the districts in which the Preliminary Examination will be held are as follows- Agra, Allahabad, Azamgarh, Barabanki, Bareilly, Gorakhpur, Etawah, Faizabad, Ghaziabad, Jaunpur, Jhansi, Kanpur Nagar, Lucknow, Meerut, Moradabad, Rai Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Varanasi, Mainpuri and Mathura.

APPENDIX - 3

उ.प्र. की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के..... ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....
दिनांक..... पूरा नाम.....
मुहर..... पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्राकृष-1)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....
दिनांक..... पूरा नाम.....
मुहर..... पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

उ.प्र. के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL
Certificate No..... Date

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt Kum..... son/wife/daughter of Shri..... age..... sex..... identification mark (S)..... is suffering from permanent disability of following category:

A. Locomotor or cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms.
(ii) BA-Both arms affected
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip
(iii) BLA-Both legs and both arms affected
(iv) OL-One leg affected (right or left)
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
(v) OA-One arm affected
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
(vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

(i) B-Blind
(ii) PB-Partially Blind

C. Hearing impairment:

(i) D-Deaf
(ii) PD-Partially Deaf
(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assess on of this case is not recommended/is recommended after a period of..... year..... months.
3. Percentage of disability in his/her case is.....percent.
4. Sh./Smt./Kum.meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling and pushing. Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting. Yes/No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. Yes/No
(v) B-can perform work by bending Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting. Yes/No
(vii) ST-can perform work by standing. Yes/No
(viii) W-can perform work by walking Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No
(xi) RW-can perform work by reading and writing. Yes/No

(Dr.) (Dr.) (Dr.)
Member Member Chairperson
Medical Board Medical Board Medical Board
Countersigned by the
M e d i c a l

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक-28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्राकृष - 1

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी..... पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक..... (स्थान का नाम) में आयोजित(क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....
दिनांक..... नाम.....
पद.....
संस्था का नाम.....
मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
Contd...

<p align="center">प्रारूप - 2</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक..... में (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... पता..... मुहर.....</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p>	<p align="center">APPENDIX-5</p> <p align="center">SYLLABUS FOR MAIN EXAM</p> <p>1. General Studies (Like Preliminary Exam.) Time- Two hours. Questions – 120 MM- 120</p> <p>2. General Hindi and Drafting Part - 1 (Conventional) Time- 2 1/2 Hours. MM-100</p> <p>(1) Heading of Given Passage, Precis and explanation of the under lined parts. (3+6+12) 21 Marks (2) Precis in Tabular Form of any given Govt. Letter 15 Marks (3) Correspondence 24 Marks (i) Official/Demi official letter (ii) Office Memo/Memo/Circular (iii) Communique / Annotation & Reports / Reminder</p> <p>(4) Definition Vocabulary (Administrative and Commercial) (i) English to Hindi (five words) 10 Marks (ii) Hindi to English (five words) 10 Marks (iii) Idioms and Phrases (only 5) 10 Marks (5) Computer Knowledge 10 Marks</p> <p align="center">Part-2 General Vocabulary (Objective Type) Time- 1/2 Hour MM-60</p> <p>(1) Opposites (6 words) 12 Marks (2) Sentence and Correction in framing (6 sentences) 12 Marks (3) One word for several words (6 words) 12 Marks (4) Same usage and same nature words (6 words) 12 Marks (5) Derived by a noun & Adjective (6 words) 12 Marks</p>
<p align="center">प्रारूप- 3</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक..... तक(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद.....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर.....</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p>	<p>3. Hindi Essay Time- 3 Hours. MM- 120</p> <p>There will be three questions in this paper. Selecting One heading (A/B/C) from each question Essays will have to be written (in given words Limit)</p> <p>(1) (A) Literature and Cultures (words limit 600) 40 Marks (B) Social Field (C) Political Field</p> <p>(2) (A) Science, Ecology and Technology (words limit 600) 40 Marks (B) Economical Field (C) Agriculture and Commerce</p> <p>(3) (A) National and International Events (words limit 600) 40 Marks (B) Natural Calamities - Earth Stumbling, Cyclone, Earthquake, Flood, Drought etc. (C) National Development Plans.</p> <p align="right">(120+160+120=400)</p>
<p align="center">प्रारूप - 4</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>इंटरनेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवास (पूरा नाम)मेंस्कूल में कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक..... तक(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की(क्रीडा/खेल -कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर.....</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।</p>	<p align="center">Special Instructions for the candidates of Samiksha Adhikari (Hindi) and Samiksha Adhikari (Urdu) regarding Syllabi:-</p> <p>There shall be additional paper of Translation of qualifying nature in the main examination as per syllabi for the post of Samiksha Adhikari (Hindi) and Samiksha Adhikari (Urdu). The said question papers shall be conventional type whose duration shall be 3 hrs. and maximum marks 100. It shall be mandatory to such candidates to secure 33% marks i.e. 33 marks out of 100 marks. The candidates who have secured less than 33% marks in the aforesaid papers of translations, shall be treated disqualified for these posts. Only such candidates shall be treated eligible for the aforesaid posts who have claimed in their on-line application and have qualified for these posts for main examination after appearing in the preliminary examination. The merit of such candidates who have appeared in the main examination shall be determined along with all candidates on the basis of total marks secured in the main examination for selection to the aforesaid posts i.e. in the final select list, the marks obtained by the candidates for selection to the aforesaid posts in the above qualifying papers shall not be added for determination of merit.</p> <p>For the aforesaid posts, the syllabi of question papers pertaining to translations, are as under-</p> <p align="center">Syllabus for Samiksha Adhikari (Hindi)</p> <p align="center">Translation from English to Hindi and from Hindi to English Max. Mark- 100 Time-3Hrs.</p> <p align="center">Part-1 (Translation from English to Hindi) Syllabus</p> <p>1-Translation from English to Hindi of an extract from a Press Communique, Press Article or Government Resolution. 30 Marks 2- Translation from English to Hindi of a section or some Sections of an Act of the legislature. 10 Marks 3- Explanation of common expressions, clichés etc, which might be met with in either of the above, technical-official words. 10 Marks</p> <p align="center">Part-2 (Translation from Hindi to English)</p> <p>4- Translation of a portion of news paper article, speech, letter etc. 30 Marks 5- Translation of words and expressions commonly used in the above circumstances into idiomatic equivalents in English. 10 Marks 6- Explanation of common expressions, clichés, etc, which might be met with in either of the above, technical-official words. 10 Marks</p>
<p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिये प्रमाण पत्र</p> <p align="center">प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....निवासी..... ग्राम..... तहसील.....नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).....पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....के आश्रित हैं।</p> <p>स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... जिलाधिकारी..... सील.....</p>	<p align="center">APPENDIX-4</p> <p align="center">Plan of examination and Syllabus for Preliminary Examination</p> <p align="center">1. General Studies (Objective Type) Time- Two hours. Questions - 140 MM- 140</p> <p>1- General Science, 2. History of India, 3. Indian National Movement, 4. Indian Polity, Economy & Culture, 5. Indian Agriculture, Commerce and Trade. 6. Population, Ecology and Urbanisation (in Indian Context) 7. World Geography and Geography and Natural Resources of India. 8. Current National and International Important Events. 9. General Intelligentsia. 10. Special Knowledge regarding Education, Culture, Agriculture Industry, Trade, Living & Social Traditions of Uttar Pradesh.</p> <p align="center">2. General Hindi (Preliminary Examination) (General Vocabulary and Grammar (Objective Type)) Time- One hour Questions - 60 MM- 60</p> <p>(1) Opposites (10 words) (2) Sentence and Correction in framing (10 Sentences) (3) One word for several words (10 words) (4) Same usage and same nature words (10 words) (5) A Noun as Defined by an adjective & an adjectives (10 words) (6) Synonymous words (10 words)</p> <p align="center">Total- 200 Marks</p> <p align="center">Syllabus for Samiksha Adhikari (Urdu)</p> <p align="center">Translation from English to Urdu and from Urdu to English Max Marks-100 Time- 3Hrs.</p> <p align="center">Part-1 (Translation from English to Urdu)</p> <p>1- Translation from English to Urdu of an extract from a Press Communique, Press Article or Government Resolution. 30 Marks 2- Translation from English to Urdu of a section or some Sections of an Act of the legislature. 10 Marks 3- Explanations of common expressions, clichés, etc, which might be met with in either of the above, technical-official words. 10 Marks</p> <p align="center">Part-2 (Translation from Urdu to English)</p> <p>4-Translation of a portion of news paper article, speech, letter etc. 30 Marks 5- Translation of words and expressions commonly used in the above circumstances into idiomatic equivalents in English. 10 Marks 6- Explanation of common expressions, clichés, etc, which might be met with in either of the above technical-official words. 10 Marks</p> <p align="right">SECRETARY</p>